

25/02/2026

कार्यालय अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नम्बर: 0141-2702818 ई-मेल: pccf.cwlv.forest@rajasthan.gov.in

एफ.4(1181) व.जी.स्वी./मु.वजी.प्र./2024/1486

दिनांक:-24.02.2026

निमित्त,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-चौराखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुरा सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन
के प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/34657/2024 (1.872Ha) बाबत।

सन्दर्भ:-संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 1605 दिनांक 20.02.2026 के
क्रम में।

FCA / *Arundhati*
26/2/26
महोदय,

26.02

उपरोक्त विषयान्तर्गत संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा सन्दर्भित पत्र से प्रेषित
चौराखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुरा सड़क निर्माण के वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की अभिशंषा
की गयी है। संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रेषित की गयी अभिशंषा के क्रम में
उक्त प्रस्ताव की अभिशंषा निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन की जाती है:-

1. वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि 2% RPACS में जमा करायी जावें।
2. वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रबन्ध योजना के अनुसार संबंधित उप वन संरक्षक से परामर्श कर वाटर होल्स का निर्माण कराया जावें।
3. वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगायें जावें।
4. शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कराये जावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के० सी० ए० अरुण प्रसाद)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान


दिनांक:- .02.2026

एफ.4 (1181) व.जी.स्वी./मु.वजी.प्र./2024/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, बांरा उप वन संरक्षक, बांरा को प्रतिलिपि दी जाकर लेख है कि समस्त कार्य प्रबन्ध योजना के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान



कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2025 -26/ 3546

दिनांक 27-02-2026

निमित्त:

अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद ।

विषय :- चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में
Proposal no.FP/RJ/ROAD/34657/2018 (1.872 ha)

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 1486
दिनांक 24.02.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर द्वारा संदर्भित पत्र से चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की अभिशंषा/टिप्पणी निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन की गई है।

1. वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा करायी जावे।
2. वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रबंध योजना के अनुसार संबंधित उप वन संरक्षक से परामर्श कर वाटर होल्स का निर्माण करायी जावे।
3. वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगाये जावे।
4. शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य करायी जावे।

अतः उक्त समस्त बिन्दुओं को पालना कर अन्डरटैकिंग सहित रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि उच्च कार्यालय को रिपोर्ट भिजवाई जा सके।

(बडे विवेकानंद माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2025 -26/ 3547-48 दिनांक 27-02-2026

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज0 जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर।
3. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(बडे विवेकानंद माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बारां